

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कुमुद कुंवर बनाम शिवभूति

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 237/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
------------	-----------------------------------

23/5/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती कुमुद कुंवर पत्नी किशोर सिंह, पुत्र राज सिंह ना. बा. ब. पिता शिवभूति
शिवभूति ना. बा. ब. पिता शिवभूति
शिवभूति ना. बा. ब. पिता शिवभूति
निवासी- चित्तौड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

चित्तौड़ी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 18

कुल कीता 1 कुल रकबा 1.9400 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम चित्तौड़ी (प.ह.एस.) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 18

कुल कीता 1 रकबा 1.9400 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000/- रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर मिश्रा)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)